२५.९.२५ | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
में प्राप्त फर्द नटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई
फर्द नटवारा स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम
डिक्री किया जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

ायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 54/2020

1. भंवरसिंह पिता लादूसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
2. देवेन्द्रसिंह पिता लादुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
3. मु.सुरजकंवर पत्नि स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा

बनाम वादीगण

1. नन्दसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
2. दलपतसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
3. स्वरूपसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
4. मोतीसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
5. भगवतसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली
7. श्री भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा. बेगूं
8. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला चितौडगढ जरियेप्रतिनिधी राज.सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण
श्री पी.सी.शर्मा
अधिवक्ताप्रति.1 से 5 निर्णय दिनांक :– 24.09.2024

निर्णय वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह दावा पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प बरनियास में निस्तारण हेतु रखाई गई। दावा अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा पेश कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा दौलतपुरा प.ह. बरनियास की आराजी संख्या 11,12,13,14,15,1617,18,19,20,21,87,88कुल किता–13 कुल रकबा 2.3150 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का हिस्सा 1/3 एव प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा 1/3 स्थित है जो संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजी संख्या 781, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 813, 814 कुल किता–12 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का हिस्सा 1/3 एव प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा 1/3 स्थित है जो संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज रिकोर्ड है। इसी प्रकार मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजी संख्या 2102/810 रकबा 0.5400 हैक्टर, आराजी नं. 810मी. रकबा 1.26 हैक्टर कुल किता– 2 कुल रकबा 1.80 हैक्टर है जिसमें वादीगण का 1/11 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 का हिस्स 5/11 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 5 का 5/11 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। न्यायालय आदेश व डिकी से खातेदारी श्रीमति लाडकंवर का खाता पृथक कर दिया गया होने से वह उनसे कोई दाद वादीगण प्राप्त नहीं करना चाहते है इसलिए उनको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने निहित खाते में दर्ज रेकार्ड अनुसार मौके पर काबिज होकर इसी अनुसार मौके पर बाहमीतौर बंटवारा कर निरन्तर बिना रोकटोक काश्त करते चले आ रहे है। यह कि उक्त कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा सम्बन्धी व मैरपाली व भूमि किस्म व लगान को लेकर आपसी विवाद होता रहता है, वादीगण व प्रतिवादी के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाकर खाता पृथक अलग अलग किया जानला न्यायहित में न्यायोचित है तथा पुश्तैनी रास्ते जो उक्त विवादित आराजीयात पर आने जाने के लिए पूर्ववत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में लिये जा रहे है इसी अनुसार कायम किये जाकर बंटवाडा आराजीयात के साथ ही रास्ते को भी नक्शे में तरमीम कराने के वादीगण अधिकारी है।

यह कि वादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2020 को प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से बंटवाडा कराने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण पैदा होकर हर रोज वर्तमतान है।

अतःवादीगण निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

मौजा दौलतपुरा प0ह0 बरनियास की खाता संख्या 11 की आराजी नम्बर 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18,19,20,21,87,88कुल किता–13 कुल रकबा 2.3150 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का हिस्सा 1/3 एव प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा 1/3 स्थित है। एवं मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजी संख्या 781, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 813, 814 कुल किता–12 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का हिस्सा 1/3 एव प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा 1/3 स्थित है। मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजी संख्या 2102/810 रकबा 0.5400 हैक्टर, आराजी नं. 810मी. रकबा 1.26 हैक्टर कुल किता– 2 कुल रकबा 1.80 हैक्टर है जिसमें वादीगण का 1/11 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 का हिस्स 5/11 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 5 का 5/11 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि का मौके पर कब्जेअनुसार विभाजन किया जाकर खाता पृथक पृथक दर्ज रेकार्ड किया जावें।

2– कि पुश्तैनी रास्ते जो उक्त विवादित आराजीयात पर आने जाने के लिए पूर्ववत वादीगण एव प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में लिए जा रहे है उसी अनुसार कायम किए जाकर बटवाडा आराजीयात के साथ ही रास्ते को भी नक्शे में तरमीम किए जावें।

3– अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादीगण हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

उक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.सी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण का जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा कर रास्ता पुख्ता कर खाता पृथक पृथक किए जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। दावा अ.धा. 53 राज.काश्त.अधि. का होने से पत्रावली में भूमिधारी एवं जिला कलक्टर फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाबदावा नहीं लिया गया, साथ ही प्रतिवादी संख्या 6 शाखाप्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आए न ही उनकी ओर से कोई जवाबदावा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया।

दावा पत्रावली को वास्ते निस्तारण प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प बरनियास पर रखाया गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी उपस्थित आए तथा एक लिखित राजीनामा पत्रावली में प्रस्तुत किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन किए जाने हेतु निवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, पत्रावली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य मौके पर ली जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें नकल जमाबंदी मौजा दौलतपुरा प0ह0 बरनियास व मौजा दुगार प0ह0 दुगार में वर्णित आराजीयात का अवलोकन किया जाने पर पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार कृषि आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा निहित है, तथा वादीगण वर्णित आराजीयात के खातेदार होने से उन्हें वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, मौजा दौलतपुरा प0ह0 बरनियास की खाता संख्या 11 की आराजी नम्बर 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18,19,20,21,87,88कुल किता–13 कुल रकबा 2.3150 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का हिस्सा 1/3 एव प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा 1/3 स्थित है। एवं मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजी संख्या 781, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 813, 814 कुल किता–12 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का हिस्सा 1/3 एव प्रतिवादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा 1/3 स्थित है। मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजी संख्या 2102/810 रकबा 0.5400 हैक्टर, आराजी नं. 810मी. रकबा 1.26 हैक्टर कुल किता– 2 कुल रकबा 1.80 हैक्टर है जिसमें वादीगण का 1/11 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 का हिस्स 5/11 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 5 का 5/11 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि का मौके पर कब्जेअनुसार विभाजन किया जाने एवं कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पहुँच हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए वर्णित आराजीयात का अच्छी से अच्छी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/—रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शाट्रेस के साथ भिजवाने के निर्देश दिये जाते है। प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को दी जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक 4156 दिनांक 09.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का बरनियास की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

ग्राम दुगार प.ह. दुगार के खाता स. 263 एंव 264 का विभाजन :—

1— श्री दलपतसिंह, नन्दसिंह, स्वरूप सिंह पुत्र कालूसिंह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
801	0.62	सम्पूर्ण	0.620
802	0.67	—	0.620
803	0.07	—	0.670
804	0.87	—	0.870
805	0.15 मेसे	उत्तरी दिशा	0.075
810	1.26 मेसे	उत्तरी दिशा	0.715
कीता— 06			3.02 हैक्टर

2— श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
805	0.15 मेसे	दक्षिणी हि.	0.075
806	0.15	संम्पूर्ण	0.150
807	0.29	—	0.290
808	0.14	—	0.140
810	1.26 मेसे	दक्षिणी दिशा	0.545
कीता— 05			1.20 हैक्टर

3— श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह, हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
781	0.08	संम्पूर्ण	0.08
809	0.49	संम्पूर्ण	0.49
813	0.20	—	0.20
814	0.56	—	0.56
2102/810	0.54	—	0.54
कीता— 05			1.87 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

1– दौलतपुरा प. ह. बरनियारा के खाता स. 13 का विभाजन :–

1– श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हि.व. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
11	0.0240	सम्पूर्ण	0.0240
12	0.0320	संम्पूर्ण	0.0320
13	0.0240	---	0.0240
14	0.2260	---	0.2260
15	0.1210	---	0.1210
16	0.0890	---	0.0890
17	0.4790	---	0.4790
18	0.2030 मेसे	उत्तरी दिशा	0.153

कीता– 08 1.148 हैक्टर

2– श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह, हि.व. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
18	0.0203 मेसे	दक्षिणी दिशा	0.05
20	0.194	संम्पूर्ण	0.194
21	0.243	---	0.243
87	0.615	---	0.615
88	0.410	---	0.0410

कीता– 0 1.143हैक्टर

3– श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हिस्सा 1/2 हि.व., श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह,हिस्सा 1/2 हि.व. राजपुत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
19	0.0240	सम्पूर्ण	0.0240

कीता– 01 0.0240 0.0240हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 54/2020

1. भंवरसिंह पिता लादूसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
2. देवेन्द्रसिंह पिता लादुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
3. मु.सुरजकंवर पत्नि स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा

बनाम वादीगण

1. नन्दसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
2. दलपतसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
3. स्वरूपसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
4. मोतीसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
5. भगवतसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली
7. श्री भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ
8. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला चितौडगढ जरियेप्रतिनिधी राज.सरकार

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता पी.सी.शर्मा की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर. टी.एक्ट में आज दिनांक 24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का बरनियास एवं मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

ग्राम दुगार प.ह. दुगार के खाता स. 263 एंव 264 का विभाजन :–

1– श्री दलपतसिंह, नन्दसिंह, स्वरूप सिंह पुत्र कालूसिंह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
801	0.62	सम्पूर्ण	0.620
802	0.67	––	0.620
803	0.07	––	0.670
804	0.87	––	0.870
805	0.15 मेसे	उत्तरी दिशा	0.075
810	1.26 मेसे	उत्तरी दिशा	0.715
कीता– 06			3.02 हैक्टर

2– श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
805	0.15 मेसे	दक्षिणी हि.	0.075
806	0.15	संम्पूर्ण	0.150
807	0.29	––	0.290

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

808	0.14	—	0.140
810	1.26 मेसे	दक्षिणी दिशा	0.545

कीता– 05 1.20 हैक्टर

3– श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह, हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
781	0.08	संम्पूर्ण	0.08
809	0.49	संम्पूर्ण	0.49
813	0.20	—	0.20
814	0.56	—	0.56
2102/810	0.54	—	0.54

कीता– 05 1.87 हैक्टर

ग्राम– दौलतपुरा प. ह. बरनियास के खाता स. 13 का विभाजन :–

1– श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
11	0.0240	सम्पूर्ण	0.0240
12	0.0320	संम्पूर्ण	0.0320
13	0.0240	—	0.0240
14	0.2260	—	0.2260
15	0.1210	—	0.1210
16	0.0890	—	0.0890
17	0.4790	—	0.4790
18	0.2030 मेसे	उत्तरी दिशा	0.153

कीता– 08 1.148 हैक्टर

2– श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह, हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
18	0.0203 मेसे	दक्षिणी दिशा	0.05
20	0.194	संम्पूर्ण	0.194
21	0.243	—	0.243
87	0.615	—	0.615
88	0.410	—	0.0410

कीता– 0 1.143हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हिस्सा 1/2 हि.ब., श्री [illegible]तीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह,हिस्सा 1/2 हि.ब. राजपुत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
19	0.0240	सम्पूर्ण	0.0240
कीता— 01	0.0240		0.0240हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगॅू

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :—

दावा संख्या 54/2020 व अनवान भंवरसिह बनाम नन्दसिह व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगॅू को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगॅू

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 54/2020

1. भंवरिसिंह पिता लादूसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
2. देवेन्द्रसिंह पिता लादुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
3. मु.सुरजकंवर पत्नि स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा

बनाम

वादीगण

1. नन्दसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
2. दलपतसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
3. स्वरूपसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
4. मोतीसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
5. भगवतसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली
7. श्री भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ
8. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला चितौडगढ जरियेप्रतिनिधी राज.सरकार

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता पी.सी.शर्मा की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर. टी.एक्ट में आज दिनांक 24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का बरनियास एवं मौजा दुगार प.ह. दुगार की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

ग्राम दुगार प.ह. दुगार के खाता स. 263 एंव 264 का विभाजन :–

1– श्री दलपतसिंह, नन्दसिंह, स्वरूप सिंह पुत्र कालूसिंह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
801	0.62	सम्पूर्ण	0.620
802	0.67	––	0.620
803	0.07	––	0.670
804	0.87	––	0.870
805	0.15 मेसे	उत्तरी दिशा	0.075
810	1.26 मेसे	उत्तरी दिशा	0.715
कीता– 06			3.02 हैक्टर

2– श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
805	0.15 मेसे	दक्षिणी हि.	0.075
806	0.15	संम्पूर्ण	0.150
807	0.29	––	0.290

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

808	0.14	—	0.140
810	1.26 मेसे	दक्षिणी दिशा	0.545

कीता— 05 1.20 हैक्टर

3— श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह, हि.व. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
781	0.08	संम्पूर्ण	0.08
809	0.49	संम्पूर्ण	0.49
813	0.20	—	0.20
814	0.56	—	0.56
2102/810	0.54	—	0.54

कीता— 05 1.87 हैक्टर

ग्राम— दौलतपुरा प. ह. बरनियास के खाता स. 13 का विभाजन :—

1— श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हि.व. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
11	0.0240	सम्पूर्ण	0.0240
12	0.0320	संम्पूर्ण	0.0320
13	0.0240	—	0.0240
14	0.2260	—	0.2260
15	0.1210	—	0.1210
16	0.0890	—	0.0890
17	0.4790	—	0.4790
18	0.2030 मेसे	उत्तरी दिशा	0.153

कीता— 08 1.148 हैक्टर

2— श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह, हि.ब. राजपुत सा. दौलतपुरा खातेदार रहन बदस्तुर जमांवन्दी

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
18	0.0203 मेसे	दक्षिणी दिशा	0.05
20	0.194	संम्पूर्ण	0.194
21	0.243	—	0.243
87	0.615	—	0.615
88	0.410	—	0.0410

कीता— 0 1.143हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

3– श्री देवेन्द्रसिंह, भंवरसिंह, पुत्र लादूसिंह, सूरजकंवर पत्नी लादूसिह हिस्सा 1/2 हि.व., श्री मोतीसिंह, भगवतसिंह, पुत्र मनोहरसिंह,हिस्सा 1/2 हि.व. राजपुत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी संख्या	कुल रकबा	सम्पूर्ण मेसे	रकबा हैक्टर
19	0.0240	सम्पूर्ण	0.0240
कीता– 01	0.0240		0.0240हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 54/2020 व अनवान भंवरसिह बनाम नन्दसिह व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ